

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अगलाड - थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से
मसरासमोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी)

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- क्यारी, बिच्छू मसरास
तहसील :- धनोल्टी/नैनबाग, जिला टिहरी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के क्यारी-मसरास मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 11.148 है। आरक्षित वन भूमि 1.074 है। सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 12.222 है। वनभूमि का लोनिविं, थत्यूड के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत क्यारी/मसरास द्वारा दिनांक ५/११/२०१९ को सम्पन्न उपरोक्त ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्राम पंचायत वासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों की परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अधिशासी अभियन्ता लोनिविं, थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को क्यारी-मसरास मोटर मार्ग निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



दिनांक को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत क्यारी

क्र० सं	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1		
1	बलदेव सिंह ² पवार	³
2	रमेश सिंह पुर्वाणी	
3	चंद्रमन सिंह	
4	समीर सिंह रागड़	
5	चरत सिंह	
6	विजयपाल सिंह	
7	गोविंद सिंह	
8	बधन सिंह पवार	
9	सुमिल पवार	
10	दिवान सिंह रागड़	
11	बधन सिंह रागड़	
12	तीरबल दास	
13	बकरी	
14	सरोप सिंह चोदान	
15	सुमाप सिंह	
16	राजेश सिंह	
17	वद्रमीठा सिंह	



हो/-
ग्राम प्रधान

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढ़वाल के अगलाड — थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरासमोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी)

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोल्टी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण -पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति धनोल्टी/नैनबाग

तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत क्यारी—मसरास मोटर मार्ग का निर्माण (11.148 है) आरक्षित वनभूमि 1.074 है, सिविल सोयम भूमि कुल भूमि 12.222 है) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोल्टी/नैनबाग) के दिनांक 05.02.19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षा में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. सुश्री मुक्ता मिश्र, उपजिलाधिकारी
2. श्री नीरज कुमार शर्मा, उप प्रभागीय वनाधिकारी
3. श्री योगेश पाण्डे, सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्रीमती सीमा रौछेला, क्षेत्र पंचायत क्यारी

अध्यक्ष ०५.०२.१९
सदस्य ५०/—
सदस्य/सचिव उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य अधिकारी समिति धनोल्टी
सदस्य Second सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों ने अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत क्यारी—मसरास मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 12.222 है वनभूमि लोनिवि थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए

क्रमांक 2

(2)

जानकारी से माननीय सदस्यों छो अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत क्यारी-मसरास मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 12.222 हौ० वनभूमि लो०नि०वि० थत्यूड प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

(ASW) (SD)

श्रीमती श्रीकांत चौहान
सदस्य
उप जिलाधिकारी - क्यारी वार्ड नं० 23
दिवसरा खण्ड जानपुर, टिहरी उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी/नैनबाग
जनपद टिहरी गढवाल ।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, नई टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(ASW) (SD) 07/02/19
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी/नैनबाग
जनपद टिहरी गढवाल ।

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी गढ़वाल के अगलाड — थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से
मसरासमोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी)

उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के अगलाड — थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से मसरास मोटर मार्ग
निर्माण हेतु 12.222 है। सिविल सोयम वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोनिविं थत्यूड प्रयोक्ता एजेंसी
को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र
संख्या 11-9/98-एस०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन,
ओ०एफ०सी० केबिल पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम
2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता
है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति
समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित
नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोनिविं
थत्यूड (टिंगो)

अधिकारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोनिविं
थत्यूड (टिंगो)

सहायी लदार
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

उपजिला अधिकारी
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अगलाड - थत्यूड मोटर मार्ग के क्यारी से
मसरासमोटर मार्ग का नवनिर्माण। (15.00 किमी)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक के क्यारी-मसरास मोटर मार्ग के (लम्बाई 15.00 किमी) हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (सिविल सोयम भूमि 1.074 है, आरक्षित वनभूमि 11.148 है, कुल प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल 12.222 है) के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोनिंगिं थत्यूड प्रयोक्ता ऐजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं 11-9/98-एफ०सी० दि 05.02.13 के द्वारा रेखाकर (Liner) प्रयोजना यथा - सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Group) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०,
थत्यूड।

अधिकारी अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०,
थत्यूड।

तहसीलदार
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

उपजिलाधिकारी
धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

१५

**OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL UTTARAKHAND**

**PROCEEDING OF THE MEETING OF THE DISTRICT LEVEL COMMITTEE
CONSTITUTED UNDER SCHEDULE TRIBES & OTHER TRADITIONAL FORES
DWELLERS (RECOGNITION OF RIGHTS) ACT (FRA) 2006**

A meeting of the district level committee Tehri Garhwal district constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Dr. V Shanmugam, I.A.S. District collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Jaunpur Block area measuring 12.222 Hectare for the construction of Kyari-Masras Motor Road in Tehsil Dhanolti of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for the said purpose.

Place - Tehri

Dr. V. Shanmugam
District Collector cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

45

It is Further certified that Minutes of meeting of Kyari-Masras Motor Road scheme regarding FRA
is as following.

Si.No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 12.222 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid Motor road is attached.
©	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत संसदेशरी
स दिहरी जिले विधान सभिति
हस्त जिला पंचायत
दिहरी गढ़वाल

समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी
प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वनप्रभाग
मसूरी

जिला अधिकारी
दिहरी गढ़वाल

Rec
AG

FORM-4

(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri
No. 81/ALC/II (2-19/20)

Dated 6-11-19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF' s letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 12.222 hectares of Civil forest land proposed to be diverted in favor of E.E. Try. Divi P.W.D Thatyur for **Aglad-Thatyur Motor Road km 30 to Kyari to Masras Motor Road Scheme** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of **Kyari, Bichu, Masras** village (s) in Dhanolti/Nenbag Tehsils. It is further certified that.

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 12.222 Hectare of Civil forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.
- The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,
- The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Enclosure. As above

Executive Engineer.
Ty.Div.PWD Thatyur

तहसीलदार
Dhanolti
टिहरी गढ़वाल

उप सदरमुकारी
Dhanolti
टिहरी गढ़वाल

दिल्ली अधिकारी
विधानी गढ़वाल